IN THE HIGH COURT OF M.P., INDORE BENCH (ORIGINAL JURISDICTION)

In the matter of The Companies Act, 1956.
And

In the matter of M/s. Alpine Biotech Ltd. (In-Liqn.) Company Petition no.03/2003.

NOTICE is hereby given to all concerned in respect of M/s. Alpine Biotech Ltd. (In-Liqn.) that, The Official Liquidator, Indore has earmarked the above company for dissolution u/s.481 of The Companies Act, 1956 before the Hon'ble High Court of M.P., Indore Bench. Any person, contributory, creditor, workmen, Government authorities or any other person/organization interested or any person who has reason to get aggrieved by the dissolution of the said company may approached the office of The Official Liquidator, Indore, 1st Floor, OLD CIA, Building, Opposite GPO, Residency Area, Indore (M.P.), within 15 days of the publication of this notice. Any objection/complaint or any litigation in respect to the dissolution of the said company, if raised after the expiry of the period stipulated in the notice shall not be entertained by this office in future.

Date: 26/11/2018

Place: Indore (M.P.)

(SITARAM S. GUPTA, ICLS)

OFFICIAL LIQUIDATOR

HIGH COURT OF M.P., JABALPUR, INDORE & GWALIOR

मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय, खण्डपीठ-इंदीर (मूल क्षेत्राधिकार)

कंपनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत एवं भैसर्स अल्पाइन बायोटेक लिमिटेड (परिसमापन में) के सम्बंध में कंपनी याचिका क्र. 03/2003

मैसर्स अल्पाइन बायोटेक लिमिटेड (परिसमापन में) के संबंध में सभी मंबंधित हितधारकों को एतद् सूचित किया जाता है कि, शासकीय समापक दौर ने उपरोक्त कंपनी को कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 481 के अनुसार माननीय उच्च न्यायालय, मध्य प्रदेश, खंडपीठ इंदौर के समक्ष विघटन-प्रस्ताव रखने हेतु निर्धारित किया है। कोई भी व्यक्ति, अंशदायी, लेनदार, मजदूर, सरकारी प्राधिकरण या कोई अन्य व्यक्ति/संस्थान जिन्हें उक्त प्रकरण में रुचि हो या कोई भी व्यक्ति जो उक्त कंपनी के विघटन से असंतुष्ट हो, हम सूचना के प्रकाशन के 15 दिनों के भीतर, कार्यालय शासकीय समापक, प्रथम तल, ओल्ड सी.आई.ए. बिल्डिंग, जी.पी.ओ. के सामने, रेसीडेंसी क्षेत्र, दौर (म.प्र.) में संपर्क कर सकते है। इस कंपनी के विघटन के संबंध में कोई भी आपत्ति/शिकायत या मुकदमा, यदि सूचना में निर्धारित अविध की समाप्ति बाद किया जाता है, तो भविष्य में इस कार्यालय द्वारा विचार नहीं किया जाएगा।

देनांक : 26/11/2018 धान : इंदौर (म.प्र.)

(सीताराम शरण गुप्ता, आई.सी.एल.एस.)

शासकीय समापक

उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर, इंदौर एवं ग्वालियर

लस। गरामे

aan

ा सिन्ना

243

3 25.